

भारत सरकार  
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3392  
जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है  
राम जानकी मार्ग परियोजना

3392. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राम जानकी मार्ग परियोजना के निर्माण कार्य का वर्तमान चरण क्या है और इसके पूरा होने की अनुमानित तारीख क्या है;
- (ख) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और जहां यह कार्य अभी भी लंबित पड़े हैं;
- (ग) क्या उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) इसके निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या इस परियोजना से उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच पर्यटन तथा व्यापार को बढ़ावा मिलेगा; और
- (च) प्रभावित किसानों तथा स्थानीय निवासियों को मुआवजा प्रदान करने की प्रक्रिया क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (च) राम जानकी मार्ग परियोजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या को नेपाल सीमा के पास बिहार के सीतामढ़ी जिले में भीठामोर से जोड़ती है।

राम जानकी मार्ग परियोजना का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्कता में सुधार, तीर्थयात्रियों के लिए सुगमता प्रदान करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक विकास, स्थानीय व्यापार/कृषि/व्यापार और परिवहन में सुधार, निवेश के अवसरों में वृद्धि, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में भारत-नेपाल सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

राम जानकी मार्ग को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(i) एनएच-27: अयोध्या से उत्तर प्रदेश के छावनी तक।

(ii) एनएच-227ए: उत्तर प्रदेश के छावनी से बिहार के चकिया तक

(iii) एनएच-227: बिहार के चकिया से भीठामोर (नेपाल सीमा)

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में परियोजना के विकास की स्थिति इस प्रकार है: -

उत्तर प्रदेश राज्य - अयोध्या को छावनी से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच-27 के लगभग 25 किलोमीटर के खंड को चार लेन वाले एनएच विन्यास में विकसित किया गया है। एनएच-227ए के छावनी से छपिया (55 किमी

लंबाई) को पेव्ड शोल्डर वाले एनएच मानकों के साथ 2 लेन में विकसित किया गया है। छपिया को मेहरौना घाट से जोड़ने वाले एनएच 227ए के 131 किमी खंड को पेव्ड शोल्डर वाले 2 लेन/4 लेन वाले एनएच मानकों के साथ तीन पैकेजों के तहत विकसित करने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके मई, 2027 तक चरणों में पूरा होने की उम्मीद है।

बिहार राज्य - बिहार राज्य में एनएच-227ए के मेहरौना घाट से सिवान तक (41 किमी) को 4 लेन वाले एनएच मानकों में उन्नयन का कार्य सौंप दिया गया है। यह कार्य दिसंबर, 2027 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। एनएच-227ए के सीवान और मसरख (50.12 किमी) के बीच 4 लेन एनएच मानकों के उन्नयन के लिए कार्य शुरू हो गया है और नवंबर, 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य है। एनएच-227ए/एनएच-227 के मसरख से भिठमोर वाया चकिया (150 किमी) के बीच का कार्य विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के चरण में है।

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के तहत अधिसूचित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएलए) द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है और मुआवजे का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) अधिनियम 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3जी के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

बिहार में मेहरौना घाट से मसरख तक के खंड के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है।

सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की कार्यकारी एजेंसियों और रियायतकर्ताओं/ठेकेदारों सहित सभी हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। अन्य पहलों में भूमि अधिग्रहण में तेजी लाना, अधिग्रहित भूमि में बाधाओं को दूर करना, सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी के साथ विभिन्न मंजूरियां (जैसे सिंचाई विभाग, रेलवे से) प्राप्त करना शामिल है।

\*\*\*\*\*